

### मनमानी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आवेदक भटकने को मजबूर

# साहब तो साहब बाबू भी कुर्सी पर नहीं रहते



सिक्क्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए बुकिंग काउंटर बना हुआ है लेकिन उस बुकिंग काउंटर में

नवभारत, जबलपुर। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में इन दिनों अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है। यहां तो बड़े साहब कब आते हैं, कब चले जाते हैं इसका समय लोगों को पता ही नहीं रहता है। वहीं साहब तो साहब, यहां के बाबू भी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए नजर नहीं आते हैं। जिसके कारण बाबू की खिड़की के बाहर आवेदकों की

भीड़ लग जाती है। जहां आवेदक घंटों तक अपना कार्य करवाने के लिए इंतजार करते रहते हैं। इसके चलते आरटीओ कार्यालय में इन दिनों कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है।

**हाई सिक्क्योरिटी नंबर प्लेट का बुकिंग काउंटर खाली**  
आरटीओ कार्यालय में प्रवेश करते ही बाएं हाथ पर हाई

### मेडम तो प्रभारी, सहा. आरटीओ भी गायब

उल्लेखनीय यह है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ में छतरपुर की आरटीओ मधु सिंह को जबलपुर आरटीओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जिसके चलते वह जबलपुर में बैठकर कार्य नहीं कर रही हैं। वहीं सहायक आरटीओ संतोष पाल जबलपुर आरटीओ की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन वह भी आरटीओ कार्यालय में बहुत कम बैठे हुए मिलते हैं। जिसके कारण काफी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, कार्य ना होने के कारण आवेदकों को रोजाना कार्यालय के चक्कर काटने पर रहे हैं।

### रंगदारी नहीं देने पर मेट्रो बस परिचालक को पीटा

जबलपुर। शहपुरा में रंगदारी न देने पर बदमाशों ने मेट्रो बस परिचालक के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने बताया कि सतीश मिश्रा 35 वर्ष निवासी चेरीताल राजीवनगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मेट्रो बस क्रमांक एमपी 20 पीए 1266 में परिचालक के पद पर कार्य करता है बस जबलपुर से शहपुरा दिन में 3 चक्कर चलती है। बस लेकर शहपुरा आ रहा था बस में सवारियां बैठी थीं शहपुरा में सिंघई हाईवेयर के सामने सवारियां उतरा रहा था उसी समय धर्मेश सिंह राजपूत एवं अमित सिंह राजपूत दोनों निवासी रामखिरिया आये वह आगे वाले गेट में था दोनों उसके साथ विवाद करते हुये बोले कि सवारी लेकर चलना है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, उसने पैसे देने से मना किया तो दोनों हाथ मुझों से मारपीट उसके सोना एवं गले में चोट आयी। दोनों बोले कि पैसे नहीं दिये तो हमने उसे खत्म कर देंगे।

### आराधना स्थल को अपवित्र कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा

**नशेड़ी के कृत्य से धार्मिक भावनाएं आहत, भड़का आक्रोश एफआईआर दर्ज, आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल**



नवभारत, जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत सिंगरहा बस्ती के पास मैदान में चबूतर पर बने शिवलिंग के पास शराब के नशे में धुत युवक ने आस्था से खिलवाड़ कर आराधना स्थल को अपवित्र कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा। नशेड़ी के कृत्य से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और आक्रोश भड़क गया। हिंदूवादी संगठनों ने पहुंचकर आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और कार्रवाई का आस्थावन देते हुए आक्रोशितजनों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जहां से उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया। टीआई प्रसन्न कुमार शर्मा ने बताया कि मोहित तिवारी 23 वर्ष निवासी छोटी बजरिया ने रिपोर्ट

दर्ज कराया कि वे अपने दोस्तों के साथ रात करीबन 9 बजे अपने घर के पास खाली ग्राउंड में खड़े होकर बातचीत कर रहा था ग्राउंड से कुछ दूरी पर आंगनवाड़ी की दीवार से सटकर खुले में बरगद के पेड़ के सामने बने चबूतरानुमा मंदिर में शिवलिंग स्थापित है जो कि कई साल पुराना है मंदिर के चबूतर पर 1963 का बना होना लेख है उस मंदिर में हिन्दू परिवारों के लोग पूजन करते हैं एवं सभी हिन्दू धर्म के लोगों की उस मंदिर से धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है रात करीबन 09.10 बजे काजी मोहल्ला गढ़ा का रहने वाला मोह. रिजवान उर्फ रिज्जू उर्फ भूरा खान आया और मंदिर के चबूतर पर चढ़कर उपसना स्थल को अपवित्र किया जिससे हिन्दू समाज के लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई है। मोह. रिजवान उर्फ रिज्जू उर्फ भूरा के द्वारा किया गया कार्य साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला एवं दूध के लोगों के बीच शत्रुता पैदा करने वाला है। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर दर्ज सरगामी से तलाश करते हुये आरोपी मोह. रिजवान उर्फ रिज्जू उर्फ भूरा खान 32 वर्ष निवासी काजी मोहल्ला गढ़ा को अभिरक्षा में लेते हुये प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

### आग सेकते समय झुलसी महिला की मौत

जबलपुर। गोरबाजार थाना अंतर्गत धोबीघाट में रहने वाली एक महिला घर में आग सेकते समय झुलस गई जिसे परिजन आनन-फानन में उपचार के लिये निजी अस्पताल पहुंचे जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि श्रीमति कांति सारा 63 वर्ष निवासी वाटर वर्क्स रोड धोबीघाट गोरबाजार की घर में आग सेकते समय जल जाने से बेटी पूनम थाना द्वारा भर्ती कराया गया था जिसकी दौरान उपचार के मंगलवार को मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। साथ ही परिजनों की बहान दर्ज किये जा रहे हैं।

### प्लाट बेचने के नाम पर 15.35 लाख एंटे

नवभारत, जबलपुर। करमेता स्थित प्लाट बेचने के नाम पर 15.35 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है जिसको लेकर पीड़ित ने मामले की शिकायत मादोताल थाने एवं पुलिस अधीक्षक से की है। शिकायतकर्ता संदीप सोनी पिता स्व राजेन्द्र सोनी, निवासी जयप्रकाश नगर, अधारताल ने बताया कि वर्ष 2015 में सुशील दुबे निवासी प्रोफेसर कॉलोनी करमेता के सम्पर्क में आया, सुशील दुबे ने बताया कि करमेता में 25 डिग्रीमल भूमि है, जिसको बेचना है। उक्त भूमि के भूस्वामी तपनदास निवासी केचनबिहार विजयनगर है। उक्त भूमि का सौदा 20,47,000 रुपए में तपनदास एवं सुशील दुबे से रूठ हुआ। 5 सितम्बर 2015 को स्टाम्प पेपर पर एपीमेंट हुआ कि 25 डिग्रीमल भूमि को उसे विक्रय किए जाने अनुबंध किया गया।



उसके द्वारा अलग-अलग दिनांक में चैक एवं कैश के माध्यम से करीब 15 लाख 35 हजार रुपए सुशील दुबे को दिये गए थे। 19 वर्ष हो जाने पर भी सुशील दुबे ने उक्त 25 डिग्रीमल जमीन को रजिस्ट्री उरके नाम पर नहीं की है। जब बात करो तो सुशील द्वारा कहा जाता है मैंने तुम्हारी जमीन बेच दी है। रिपोर्ट करोगे तो जान से मार दोगे। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की मांग की है।

### दमोहनाका में आज लगाई जाएगी समानांतर सदन

नवभारत, जबलपुर। कांग्रेस पार्षद दल द्वारा गंगोत्री होटल, दमोहनाका के बाजू में बुधवार दोपहर 03.30 बजे से समानांतर सदन लगाई जाएगी। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, उपनेता प्रतिपक्ष शम्भुपता उरुमानी गुरु नबी एवं सचेतक अयोध्या तिवारी ने बताया कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हेतु धारा 30 के तहत सदन की बैठक आहूत करने अनेकों पत्र के माध्यम से मांग रखी गई लेकिन नगर सत्ता द्वारा मुद्दों पर चर्चा करने से बचने सदन की बैठक आहूत नहीं कराई जा रही है। पूर्व में कांग्रेस पार्षद दल द्वारा प्रेस कॉन्फेंस कर वेतानी दी गई थी कि जनता से जुड़े मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की जाती है तो कांग्रेस पार्षद दल द्वारा शहर के प्रमुख चैराहों पर समानांतर सदन लगायेगी। इसी क्रम में कांग्रेस पार्षद दल द्वारा समानांतर सदन लगाकर जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रही है।

### रिज बाजार, स्कूल की दुर्दशा पर कैंट पार्षद का विरोध

**छवनी परिषद के सीईओ से की व्यवस्था सुधार की मांग**



नवभारत, जबलपुर। कैंट क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था और कर प्रणाली में व्याप्त समस्याओं को लेकर कैंट पार्षद राजीव यादव ने छवनी परिषद जबलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजीव कुमार को ज्ञापन साँपकर त्वरित सुधार की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि रिज बाजार कैंट माध्यमिक शाला को पूर्व में विशेष प्रयासों से पुनः प्रारंभ किया गया था, जहां प्रधान अध्यापिका मेखला कुशवाहा के कार्यकाल में लगभग 280 छात्र-छात्राई अध्ययनरत थे।

विद्यालय गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का एकमात्र सहायक था। हालांकि वर्तमान प्रधानाध्यापिका के कार्यकाल में शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ है, जिससे बच्चों के टीसी कार्टे जाने और अन्य स्कूलों में पलायन की स्थिति बनी है। इसके कारण विद्यालय की छात्र संख्या में भारी गिरावट आई है। पार्षद राजीव यादव ने आग्रह किया

निवासियों की ओर से संपत्ति कर में जल कर जोड़े जाने पर आपत्ति जताई गई। पार्षद ने बताया कि इन क्षेत्रों में जल आपूर्ति नगर निगम जबलपुर द्वारा की जाती है, जिसका कर नागरिक पहले से नगर निगम को चुका रहे हैं। इसके बावजूद छवनी परिषद द्वारा संपत्ति कर में जल कर शामिल किए जाने से विशेषकर सेवानिवृत्त नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। पार्षद राजीव यादव एवं स्थानीय नागरिकों ने छवनी परिषद से मांग की है कि रिज बाजार विद्यालय को पूर्व की स्थिति में लाया जाए, शिक्षा व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग हो, संपत्ति कर से जल कर की राशि पृथक की जाए।

### चाकूबाजी में शामिल थे पांच, आरोपी बने दो



नवभारत, जबलपुर। साहब, दो दिन पूर्व में पुत्र और उसके दोस्त के साथ पांच बदमाशों ने मारपीट करते हुए चाकूबाजी की थी। पुलिस ने सिर्फ दो पर कार्रवाई की गई है तीन पर राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं की गई है। ये शिकायत करते हुए पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। शिकायतकर्ता मोहम्मद रईसा पिता अब्दुल रशीद निवासी बड़ी मदार टेकरी निवासी 42

वर्षीय ने बताया कि दो दिन पूर्व उसके पुत्र मोहम्मद मुशाहिद 17 वर्ष एवं पड़ोसी मोहम्मद आसिफ 16 वर्ष रात्रि 11 बजे पैसे लेने जा रहे थे तभी गोलू गोल्डर, अलताफ, छोटा गोल्डर, मुख्तार, शाहिद का पुत्र राजा को धक्का लगने पर विवाद करने लगे। विरोध करने पर एक राय होकर चाकू निकाल आसिफ पर हमला कर दिया। बीच बचाव के दौरान मुशाहिद को घसीटकर हाथ मुझों से पीटा। हनुमानताल पुलिस द्वारा दो लोगों पर अपराध दर्ज किया गया तीन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाने के साथ कार्रवाई की मांग की है।

### फर्नीचर कारोबारी हत्याकांड : तीसरी आंख से पांच से आठ चिन्हित

**संदेहियों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ**



नवभारत, जबलपुर। राईली थाना अंतर्गत लक्ष्मी मंदिर मेन रोड गोकल्पुर्ण में रविवार देर रात्रि कार-बाइक में एक्सीडेंट के बाद चाकूओं से गोदकर हुई फर्नीचर कारोबारी की हत्या की गुरुथी सुलझाने पुलिस जुट गई है। मोटर सायकिल चालक समेत उसके साथियों को सीसीटीवी कैमरे से चिन्हित कर लिया गया है। तीसरी आंख के जरिए करीब पांच से आठ लोग चिन्हित किए गए हैं जिनकी लगभग पहचान भी कर ली गई है। इसके साथ ही पुलिस ने संदेहियों को भी हिरासत में

ले लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। विदित हो कि एकांश साहू पिता सुरेश साहू 34 वर्ष निवासी सक्की मंडी अधारताल का फर्नीचर कारोबारी था। रविवार रात्रि वे अपने दोस्त महिहत के साथ क्रेटा कार से घर लौट रहा था। रात्रि करीब 11:30 बजे लक्ष्मी मंदिर मेन रोड गोकल्पुर्ण में एकांश साहू की गाड़ी का एक्सीडेंट एक मोटर सायकिल से हो गया था। इसके बाद बाइक चालक

और कार चालक के बीच विवाद कहांसुनी हुई। जिसके बाद बाइक सवार युवकों ने फोन करके अज्ञात लड़कों को बुला लिया था और एक्सीडेंट की बात को लेकर एकांश पर चाकूओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए थे। हमले में एकांश को सोने, पैट में गंभीर चोटें आ गई जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपी एक्सीडेंट वाली मोटर सायकल क्रमांक एमपी 20 के एम 05 11 को वही पर छोड़ भाग गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और बाइक नंबर के जरिए आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। टीआई उमेश गोल्डानी ने बताया कि संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है जल्द ही हत्या का खुलासा कर दिया जायेगा।

### लेबर कानून संशोधन के विरोध में आंदोलन शुरू

नवभारत, जबलपुर। केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों ने लेबर कानूनों में हालिया संशोधनों के विरोध में व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया है। केन्द्रीय श्रम संगठनों द्वारा आयोजित एक दिवसीय हड़ताल के समर्थन में ऑल इंडिया डिफेंस इम्प्लाइज फेडरेशन ने चार दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। फेडरेशन के संगठन मंत्री अनंभ दस गुप्ता ने बताया कि संशोधित कानून पूरी तरह से मजदूर विरोधी है। उनका कहना है कि कार्य के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे किए जा रहे हैं, स्थायी नियुक्ति खत्म हो रही है, न्यूनतम वेतन सुनिश्चित नहीं, महिला कर्मचारियों के बाल्य देखभाल अवकाश में कटौती और रात्रि पाली में काम की



व्यवस्था अनुचित है। ओ.एफ.के. लेबर यूनियन ने भी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दिखाई। विरोध स्वरूप कर्मचारी बैज धारण, नारेबाजी, लंच बहिष्कार, द्वार सभा और 12 फरवरी को निर्माण में 1 घंटे देरी से प्रवेश करेंगे। यूनियन नेताओं पुष्पेन्द्र सिंह, सुकेश दूबे, सुरेश कन्ना, सोमेश्वर रजक, हरीश चौबे, दिनेश नामदेव, राकेश जायसवाल, दीपक ठाकुर, आशीष

श्रीवास्तव, शरद अलवल, संजीव कुमार, निर्भय पटेल, प्रभात रंजन, मोहन मीना, राजू कुमार, गौतम शर्मा, प्रदीप गुप्ता, सुमित सोनकर, पवन पटेल, प्रमोद यादव, कमल नायक, वीरेंद्र पटेल, अनिल अग्रवाल, विमल महावर, प्रियंका ठाकुर, रोहित सेठ, खुशबु, तुलसा ने कर्मचारियों से आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।

### भाजपा जबलपुर महानगर के 18 मंडल प्रभारी घोषित

नवभारत, जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर के जिला अध्यक्ष रमेश सोनकर ने भाजपा जबलपुर महानगर के सभी 18 मंडलों के प्रभारी घोषित कर दिए हैं। जारी सूची के मुताबिक मुखर्जी मंडल में योगेश श्रीवास्तव, तिलक मंडल में राजेश मिश्रा, सुभाषचंद्र बोस मंडल में प्रणीत वर्मा, अब्दुल हमीद मंडल में मुखरी दुबे, नर्मदा मंडल में श्रीराम शुक्ला, रानी दुर्गावती मंडल में पंकज दुबे,



महाराणा प्रताप मंडल में रोहित जैन, महर्षि वाल्मीकि मंडल में राजीव राठौर, गिरिराज किशोर कपूर मंडल में चित्रकान्त शर्मा, अटल बिहारी वाजपेई मंडल में श्रीकान्त साहू, छत्रपति शिवाजी

### दहेज के लिए प्रताड़ित करता है पति

जबलपुर। हनुमानताल थाना अंतर्गत अनवरगंज निवासी एक महिला को पति दहेज के लिए प्रताड़ित करता है जिससे तंग आकर अब पीड़िता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक श्रीमति गजाला खानम 22 वर्ष निवासी अनवरगंज खेरमाई वार्ड हनुमानताल ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी शादी सितम्बर 2023 को अनवर गंज निवासी मोह. सलमान के साथ मुस्लिम रीतिरिवाज से हुई है जिससे उसकी डेढ़ वर्षिय बेटी है। पति प्लम्बर का काम करता है जो घर पर पैसे नहीं देता है। शादी के बाद से ही पति बोला मायके से दहेज में कुछ नहीं लायी है कहते हुये गाड़ी की मांग कर आये दिन मारपीट कर प्रताड़ित करता है उसे छोड़कर अपनी बहन के घर में जाकर रह रहा है। पति ने दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित किया है।

मंडल में रजनीश यादव, शहीद भगत सिंह मंडल में रंजीत पटेल, वीर सावरकर मंडल में योगेंद्र राजपूत, आचार्य विधासागर मंडल में पंकज मिश्रा, दीनदयाल उपाध्याय मंडल में रिकूज विज, चंद्रशेखर आजाद मंडल में तुष्णा चटर्जी, कुशाभाऊ ठाकरे मंडल में प्रयाण केसरवानी, स्वामी विवेकानंद मंडल में विवेक अग्रवालको मंडल प्रभारी बनाया गया है।

### बदमाशों का निकला जुलूस तो बोले अपराध करना पाप है

**चाकू अड़ा अपहरण कर ऑनलाइन ट्रांसफर करावाये थे 20 हजार, लूटी थी सोने की अंगूठी**



नवभारत, जबलपुर। चाकू अड़ाकर फिल्मी स्ट्राइल में युवकों का अपहरण कर ऑनलाइन बीस हजार रुपए ट्रांसफर कराते हुए सोने की अंगूठी लूटने वाले बदमाशों को गोहलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनकी हेकड़ी निकाली गई। पुलिस टीम आरोपियों को वहां ले गई जहां उन्होंने दशतगढ़ी फैलाते हुए वारदात की थी यहाँ अपराधियों कहते नजर आए कि अपराध करना पापा है, पुलिस हमारी बाप है। विदित हो कि रविवार शाम लक्ष्य झा 20 वर्ष निवासी बाई का गबीचा घमापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया थी कि वह

महाकौशल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। शनिवार को लेबर चौक स्थित नागेन्द्र होटल से दोस्त के जन्मदिन की पार्टी मनाकर अपने साथी अभिनव श्रीवास्तव के साथ अपनी क्रेटा कार एमपी 04 सीआर 1566 से दीनदयाल से अपने घर तरफवापस आ रहा था रात लगभग 2-30 बजे निस्तार करने के लिये कार को रोड से चण्डालभाटा रोड पर लगभग 50 मीटर अंदर गये वह गाड़ी के अंदर बैठा रहा। अभिनव जैसे ही नीचे उतरा तभी अज्ञात 4 तलक मोटर सायकिल व

एक्सिस में आये व उसे एवं अभिनव को घेरकर कार की चाबी छुड़ा लिये, सभी ने हम लोगों के साथ हाथ मुझों से मारपीट की। अभिनव के गले में चाकू अड़ाकर उससे 20 हजार रुपये की मांग करने लगे, उसके पास पैसे नहीं होने से चारों अपनी स्कूटी एवं मोटर सायकिल को वहीं छोड़कर उसे कार में बंधक बनाकर लगभग ढाई घंटे तक घुमाते रहे और उसे व उसके दोस्त के साथ हाथ मुझों व बैल्ट से मारपीट करते रहे। जबदस्तती डरा धमकाकर उससे ऑन लाईन सुपर मनी

एप के माध्यम से 20 हजार रुपये डलवा लिये। उसके हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी छीन लिये थे।

**इन्हें किया गया गिरफ्तार**  
थाना प्रभारी गोहलपुर रीतेश पाण्डेय ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी पहचान करते हुए ब्रजेश महतो पिता राजेश महतो 19 वर्ष, सुमित दुमार पिता स्व. संजय दुमार 18 वर्ष, सुमित उर्फ सचिन समुन्द्रे पिता लाला राम समुन्द्रे 19 वर्ष तीनों निवासी अघोरी बाबा मंदिर नगर निगम बस्ती चंडालभाटाको गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से लूटी हुई सोने की अंगूठी एवं पर्स, घटना में प्रयुक्त दो रामपुरी चाकू एवं बाइक को जब्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भेजा दिया गया है जबकि एक की तलाश जारी है।

### दिशा निर्देश एक पल में बिना टिकट हो जाएंगे, वसूला जाएगा तीन गुना जुर्माना

## बिना पहचान पत्र के साथ चलने वाले यात्री हो जाए सावधान

जबलपुर, नवभारत। रेलवे बोर्ड ने आरक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब यात्रा के दौरान यात्रियों के समूह में से कम से कम एक व्यक्ति के पास मूल पहचान पत्र होना अनिवार्य है। यदि जांच के दौरान आईडी नहीं दिखाई जाती, तो पूरे समूह को बिना टिकट माना जाएगा और रेलवे अधिनियम के तहत जुर्माना वसूला जाएगा। यह कदम फर्जी टिकटों और अवैध यात्रा पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। नए बदलाव के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और छात्रों जैसे विशेष कृते का रियायती दरों पर टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अब अधिक सावधान रहना होगा।



**नहीं चलेगा स्क्रीनशॉट**  
यात्रा के दौरान उन्हें अपनी पात्रता साबित करने वाले वैध दस्तावेज साथ रखने होंगे। प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में रियायत रद्द कर दी जाएगी और यात्री को पूरा क्रियाय व भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। रेलवे का मानना है कि इससे आरक्षित सुविधाओं के दुरुपयोग को रोका जा

सकेगा (जानकारी के मुताबिक फोटोकॉपी, स्क्रीनशॉट, डिजिटल कॉपी या मोबाइल में सेव की गई इमेज मान्य नहीं होगी। मूल दस्तावेज ही स्वीकार किया जाएगा। **इसलिए उठाया गया सख्त कदम**  
इस संबंध में रेलवे बोर्ड का कहना है कि यह कदम फर्जी टिकट, अनधिकृत यात्रा और आरक्षण के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में कई मामलों में देखा गया कि एक ही पीएनआर पर कई लोग यात्रा करते हैं, लेकिन किसी के पास आईडी नहीं होती। इससे सुरक्षा और टिकट चेकिंग में दिक्कत आती थी। नया नियम पूरे

पीएनआर को जिम्मेदार बनाता है ताकि यात्रा करने से पहले सभी सदस्य आईडी की व्यवस्था करें। **वसूला जाएगा इतना जुर्माना**  
यदि पूरा पीएनआर बिना टिकट माना गया तो स्लीपर क्लास का न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये और किराए का 3 गुना दंडात्मक शुल्क। गंभीर मामलों में रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। यह नया नियम पूरा पीएनआर का जिम्मेदार बनाता है ताकि यात्रा करने से पहले सभी सदस्य आईडी की व्यवस्था करें।